न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2022 पुनः दर्ज नम्बर 21/2023

मोमल चौधरी पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी हटुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0

(अपीलार्थी)

बनाम

1 इमामुदीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू

2. निजामुदीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू

3. तहसीलदार तहसील दूदू जिला दूदू राज0

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1779 दिनांक 08.4.2022

उपस्थित :–

1. श्री रामजीलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

2 श्री भैरूलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस की ओर से ।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक :— 16.1.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की कि आराजी ख0न0 756/5281 रकबा 0.13 है0, ख0न0 756 रकबा 2.73 है0, ख0न0 740 रकबा 0.70 है0, ख0न0 831 रकबा 0.14 है0, ख0न0 832 रकबा 0.01 है0, ख0न0 833 रकबा 0.12 है0, ख0न0 834 रकाब 0.35 है0, ख0न0 848 रकबा 0.09 है0, ख0न0 830/1 रकबा 1.09 है0, कुल किता 9 रकबा 5.36 है0, एवं ख0न0 829 रकबा 0.52 है0, ख0न0 757 रकबा 0.48 है0, ख0न0 758 रकबा 0.61 है0, ख0न0 830/2 रकबा 0.19 है0 किता 4 रकबा 1.80 है0 वाके ग्राम साखुन तहसील दूदू में दर्ज रिकार्ड अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी में दर्ज थी जिस बाबत धारा 53(1) सहमति से आवेदन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के समक्ष उचित विभाजन पत्र भरकर पटवारी व आई.एल.आर. की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुरूप प्रस्तुत किया परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से सांठ गांठ कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :—

2. अपीलाधीन आदेश विधि के सारभूत सिद्वान्तो एवं बटवारा के मूलभूत सिद्वान्तो के वितरीत अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अनपढ व ग्रामीण परिवेश की है इसलिए सरस नरस की जानकारी नही रही तथा बारानी भूमि अपीलान्ट को देते हुए सरस व कीमती भूमि रोड के लगवा सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 के हक में बैसाज पूर्वक राजस्व कारकानूनो से सांठ गांठ कर पारित करवा लिया जो निरस्त योग्य है। ख0न0 832 कुआ है, जिसमें से अपीलान्ट का हक व हिस्सा बनता है। अपीलाधीन आदेश न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से नामा. स. 1779 दिनांक 8.4.2022 निरस्त योग्य है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 23.5.2022 को नकल लेने से प्रथम बार जानकारी हुई। अपील अन्दर मियाद पेश है। इसलिए अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामा0 संख्या 1779 दिनांक 08.4.2022 ग्राम साखून निरस्त फरमाया जावें।

3. प्रकरण क्षैत्राधिकार का निर्धारण होने से न्यायालय अति. जिला कलक्टर दूदू से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू से रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री भैरूलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालनामा पेश किया । दिनांक 16.1.2024 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रकरण में पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1779 दिनांक 8.4.2022 के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, इसलिए मुताबिक राजीनामा अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

5. अतः मुताबकि राजीनामा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पूर्व में किया गया विभाजन पत्र एवं नामा. 1779 दिनांक 8.4.2022 निरस्त किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक राजीनामा एवं राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार नये सिरे से राजस्व रिकार्ड में कार्यवाही करें। राजीनामा /नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

6 .आदेश की एक प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार दूदू को जारी हो एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापस लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

7. आदेश आज दिनांक 16.1.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)